प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग चण्डीगढ़।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

क्रमांक स–3/2016/26115
दिनांक 31.10.16

विषयः– **मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का कार्यान्वयन।**

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 829–एस.डब्लयू (1)–2016 दिनांक 24–08–2016 के सन्दर्भ में ।

2. जैसा कि उक्त योजना में पात्र महिलाओं/लड़कियों के लिए 1.00 लाख रूपये से कम तक की वार्षिक आय का पैमाना रखा गया था, सरकार ने इस पर पुनः विचार करते हुए तय किया है कि जिन पात्र महिलाओं/बच्चों के नाम पहले ही **"गरीबी रेखा के नीचे"** वाली तालिका में आये/दर्शाये गये हैं। उनको अलग से आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र बनवाने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होगी।

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारी जो उक्त योजना के कार्यान्वयन से किसी भी रूप में जुड़े हो, वे किसी भी विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता स्त्री अथवा अनाथ या बेसहारा बालक/बालिका से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हों आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र की मांग न करें ।

इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक स–3/2016/ दिनांक

इसकी एक प्रति सभी जिला कल्याण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग चण्डीगढ़।